





भारतसरकार: वित्तमंत्रालय: राजस्वविभाग

GOVERNMENT OF INDIA: MINISTRY OF FINANCE: DEPARTMENT OF REVENUE प्रधानमुख्यआयकरआयुक्त, पूर्वोत्तरक्षेत्र, गुवाहाटीकाकार्यालय

OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX, NER, GUWAHATI द्वीतल, आयकरभवन, क्रिश्चियनबस्ती, जी.एस. रोड, गुवाहाटी- ७८१००५

2NDFLOOR, AAYAKAR BHAWAN, CHRISTIANBASTI, G.S. ROAD, GUWAHATI – 781 005 TELEPHONE: 0361-2320112, Fax: 0361-2345118, 0361-2347596

e-mail: guwahati.dcit.tech.pccit@incometax.gov.in

DIN & Document No: 110A | Com | m | 117 | 2025 - 26 | 1079 | 23406(1) Date: 3.9.4.97.2025

सेवा में/то,

मेसर्स निरामय हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर [पैन: AAIFN8284H], जेल रोड, जोरहाट, असम- 785001 M/s Niramoy Hospital & Research Centre [PAN: AAIFN8284H], Jail Road, Jorhat, Assam- 785001.

विषय/Sub: "— आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 के खंड (2) के उप-खंड (viii) के परंतुक के खंड (ii) के उप-खंड (बी) के प्रयोजन के लिए "निरामय अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र", [पैन: AAIFN8284H], जेल रोड, जोरहाट- 785001, (असम) के मामले में अस्पताल के पंजीकरण के लिए अनुमोदन /Approval for registration of hospital for the purpose of sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to sub-clause(viii) of clause (2) of section 17 of the Income Tax Act, 1961 in the case of "Niramoy Hospital & Research Centre", [PAN: AAIFN8284H], Jail Road, Jorhat-785001, (Assam)-reg.

आयकर अधिनियम,1961 की धारा 17(2) के अधीन आदेश

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 के खंड (2) के उपखंड (viii) के प्रावधान के खंड (ii) के उपखंड (बी) के तहत प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त को प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, मैं, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, एक अस्पताल को अनुमोदन प्रदान करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 3 ए (1) और 3 ए (2) में निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 के खंड (2) के प्रावधान के खंड (ii) के उपखंड (बी) के प्रयोजनों के लिए "मेसर्स निरामय अस्पताल और अनुसंधान केंद्र", [पैन: एआईएफएन 8284 एच], जेल रोड, जोरहाट, असम- 785001" को अनुमोदन प्रदान करता हूं /In exercise of the powers conferred on the Principal Chief Commissioner of Income Tax under sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to [sub-clause (viii) of] of clause (2) of section 17 of the Income Tax Act, 1961, I, the Principal Chief Commissioner of Income Tax, North Eastern Region hereby having regard to the guidelines prescribed in Rule 3A(1) & 3A(2) of the Income Tax Rules, 1962 for the grant of approval to a hospital, grant approval to "M/s Niramoy Hospital & Research Centre", [PAN: AIFN8284H], Jail Road, Jorhat, Assam- 785001" for the purposes of the said sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to [sub-clause (viii) of] the clause (2) of section 17 of the Income Tax Act, 1961.

ंडारा 15, 16 और 17 के प्रयोजनों के लिए कर्मचारी के हाथों में एक अनुलाभ के रूप में नहीं माना जाएगा/ The approval is applicable only in relation to any sum paid by an employer, in respect of any expenditure actually incurred by the employee on his medical treatment or treatment of any member of his family in the above mentioned hospital in respect of the following prescribed diseases or ailments as mentioned in Rule 3A(2) of the Income Tax Rules 1962, shall not be treated as a perquisite in the hands of the employee for the purposes of section 15, 16 & 17 of the Income Tax Act, 1961 as under:-

(a) हृदय, रक्त, लसीका, ग्रंथियों, अस्थि मज्जा, श्वसन प्रणाली, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मूत्र प्रणाली, यकृत, पित्ताशय, पाचन तंत्र, अंतः स्नावी ग्रंथियों या त्वचा की बीमारी जिसके लिए शल्य चिकित्सा की आवश्यकता होती है /Disease of ailment of the heart, blood, lymph, glands, bone marrow, respiratory system, central nervous system, urinary system, liver, gall bladder, digestive system, endocrine glands or the skin requiring surgical operation.

(b) आंख, कान, नाक या गले का रोग जिसके लिए शल्य चिकित्सा की आवश्यकता हो /Aliment of disease of the eye, ear, nose or throat requiring surgical operation.

(c) कंकाल प्रणाली के किसी भी भाग में फ्रैक्चर या कशेरुकाओं का विस्थापन जिसके लिए शल्य चिकित्सा या आर्थोपेडिक उपचार की आवश्यकता हो /Fracture in any part of the skeletal system or dislocation of vertebrae requiring surgical operation or orthopedic treatment.

(d) स्त्री रोग या प्रसूति संबंधी बीमारी या रोग जिसके लिए शल्य चिकित्सा, सिजेरियन ऑपरेशन या लैप्रोस्कोपिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है /Gynecological or obstetric ailment or disease requiring surgical operation, caesarean operation or laparoscopic intervention.


(e) "ए" में वर्णित अंगों की बीमारी जिसके लिए कम से कम तीन लगातार दिनों तक अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है /Ailment of disease of the organs mentioned at "a" requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days.

(f) स्त्री रोग या प्रसूति रोग जिसके लिए कम से कम तीन लगातार दिनों तक अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो /Gynecological or obstetric ailment or disease requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days.

(g) इंसुलिन शॉक, दवा प्रतिक्रिया और अन्य एलर्जी अभिव्यक्तियों सहित एनाफिलेक्टिक शॉक, जिसके लिए कम से कम तीन लगातार दिनों तक अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है /Anaphylactic shocks including insulin shock, drug reactions and other allergic manifestations requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days.

3. यह अनुमोदन किसी भी समय वापस लिया जा सकता है यदि यह पाया जाता है कि अनुमोदन धोखाधड़ी और/या तथ्यों के गलत प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्राप्त किया गया है या आयकर नियम, 1962 के नियम 3ए के उप-नियम (1) में निर्धारित आवश्यक शर्तें पूरी नहीं की गई हैं और अनुमोदन को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों में बाद में परिवर्तन के कारण आवश्यक होने पर संशोधन/वापसी के अधीन है / This approval is subject to withdrawal at any time if it is found that the approval has been obtained through fraud and/or misrepresentation of facts or necessary conditions as stipulated in sub-rule (1) of Rule 3A of the Income Tax Rule, 1962 are not fulfilled and is subject to modification/withdrawal, if necessitated by subsequent changes in the provisions governing the approval.

4. यह अनुमोदन केवल आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 के खंड 2 के उपखंड (viii) के प्रावधान के खंड (ii) के उपखंड (बी) के प्रयोजन के लिए है और इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार या प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, एनईआर, गुवाहाटी या सरकार के तहत किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण के अनुमोदन के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए /The approval is only for the purpose of sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to [sub-clause (viii) of] clause 2 section 17 of the Income Tax Act, 1961 and should not be construed as approval of the central



Government or the Pr. Chief Commissioner of Income Tax, NER, Guwahati or any other statutory authority under the Government, for any other purpose.

5. यह स्वीकृति 16.06.2025 से प्रभावी होगी और 15.06.2027 तक लागू रहेगी। यह स्वीकृति अस्पताल द्वारा नियम उए(1) के तहत वैधानिक शर्तों के निरंतर अनुपालन के अधीन है, जो इस तरह की स्वीकृति के लिए आवश्यक है और आयकर अधिनियम, 1961 के तहत स्वीकृति को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों में किसी भी संशोधन द्वारा आवश्यक संशोधनों के अधीन है / This approval takes effect from 16.06.2025 and shall remain in force till 15.06.2027. This approval is subject to the hospital's continued compliance with the statutory conditions under Rule 3A(1) necessary for such approval and such modifications as may be necessitated by any amendment to the provisions governing the approval under Income Tax Act, 1961.

6. अनुमोदन का यह आदेश निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन है /This order of the approval is subject to the following terms and conditions:

a) यह अनुमोदन हस्तांतरणीय नहीं है और यह केवल इस आदेश के पैरा संख्या 1 में उल्लिखित अस्पताल के अधीनस्थ परिसर पर लागू होता है / This approval is not transferable and is applicable only to the premises occupied by the hospital as mentioned in para 1 of this order.

- b) अस्पताल आयकर विभाग के ऐसे अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए सभी उचित समय पर खुला रहेगा जो इस संबंध में विधिवत अधिकृत हैं /The hospital shall at all reasonable times be open for inspection by such officer of the Income Tax Department as are duly authorized in this behalf.
- c) अस्पताल ऐसी शर्तों के अनुरूप होगा जो आयकर नियम, 1962 के नियम 3ए (1) और 3ए (2) में निर्धारित हैं। यिं अस्पताल कानून द्वारा निर्धारित किसी भी शर्त को पूरा करने में असमर्थ होता है, तो यह अस्पताल की ओर से अनिवार्य है कि वह इस अनुमोदन को जारी करने वाले प्राधिकारी को तुरंत इस तरह के तथ्य से अवगत कराए/The hospital shall conform to such conditions as are prescribed in Rule 3A (1) & 3A(2) of the Income Tax Rules, 1962. In the event the hospital ceases to satisfy any of the conditions prescribed by law, it will be mandatory on the part of the Hospital to intimate such fact immediately the authority issuing this approval.
- d) वर्तमान अनुमोदन के समाप्ति से कम से कम 60 दिन पहले अनुमोदन के नवीकरण से संबन्धित आवेदन जमा किया जाना अनिवार्य है/The application for renewal of approval should be submitted at least sixty (60) days before the expiry of current approval.

(डी.के.मिश्रा/ D.K Mishra)

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त,पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी Pr. Chief Commissioner of Income Tax, NER, Guwahati







भारतसरकार: वित्तमंत्रालय: राजस्वविभाग

Government of India: ministry of finance : department of revenue प्रधानमुख्यआयकरआयुक्त, पूर्वोत्तरक्षेत्र, गुवाहाटीकाकार्यालय

Office of the principal chief commissioner of income tax, ner, guwahati ह्वीतल, आयकरभवन, क्रिश्चियनबस्ती, जी.एस. रोड, गुवाहाटी– ७८१००५

2ndFloor, aayakar bhawan, christianbasti, G.S. Road, guwahati – 781 005 TELEPHONE: 0361-2320112, Fax: 0361-2345118, 0361-2347596

e-mail: guwahati.dcit.tech.pccit/aincometax.gov.in

फाइल सं. A-11/Pt.203/Pr.CCIT(NER)/Ghy/Tech/2024-25/ \0301-400

दिनांक- 31-07-2025

सेवा में.

भारत के सभी प्रधान मुख्य आयकर आयक्त भारत के सभी मुख्य आयकर आयुक्त मुख्य आयकर आयुक्त, शिलांग पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी प्रधान आयकर आयुक्त

आदरणीय महोदया/महोदय,

विषय: " मेसर्स नीरामोय अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र", जेल रोड, जोरहाट, असम- 785001 (पैन: AAIFN8284H) के मामले में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 के खंड (2) के [उप-खंड (viii)] के परंतुक के खंड (ii) के उप खंड (बी) के तहत पंजीकरण के नवीकरण के लिए अनुमोदन – के सूचनार्थ – के संबंध में

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ लें।

स्चित किया जाता है कि " मेसर्स नीरामोय अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र", जेल रोड, जोरहाट, असम- 785001 (पैन: AAIFN8284H) के मामले में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 के खंड (2) के [उप-खंड (viii)]के परंतुक के खंड (ii) के उप-खंड (बी) के तहत पंजीकरण के लिए अनुमोदन 16/06/2025 से प्रभावी है और 15/06/2027 तक प्रभावी रहेगा। यह अनुमोदन इस तरह के अनुमोदन और ऐसे संशोधनों के लिए आवश्यक नियम 3ए (1) के तहत वैधानिक शर्तों के अस्पताल के निरंतर अनुपालन के अधीन है।

इसकी एक प्रति आप के सूचनार्थ हेत संलग्न कि जा रही है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

आयकर उप असिक्त (तकनीकी)

कृते प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र,

गुवाहाटी